प्रपत्र सं. 1 का पृष्ठ सं. 1

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता) बुक नं0

1.जिला **ओपी एसीबी झुन्झुनूं** थाना **प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर** वर्ष **2022**
प्र0सू0रि0 सं. .... 191/2022 .... दिनांक .... 19/5/2022 ....

2.(i) अधिनियम ...... **भ्र0नि0 (संशोधित) अधिनियम 2018 व 120 बी भादस.** धारायें ..... **7** ....
(ii) अधिनियम .... धारायें ....
(iii) अधिनियम .... धारायें ....
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3.(क) रोजनामचा आम रपट संख्या........ 383 .... समय .... 5.00 PM ....
(ख) अपराध घटने का दिन **बुधवार** दिनांकः–18.05.2022 समय 08:**05 ए.एम.** ....
(ग) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– .... समय ....

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक :– **लिखित**
5. घटनास्थल :–**पिलानी, जिला झुन्झुनूं।**
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– **उत्तर–पूर्व दिशा में करीब 50 किलोमीटर**
(ब) पता :– **पुलिस थाना पिलानी, जिला झुन्झुनू।**
(स) यदि इस पुलिस थानासे बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .... जिला ....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– **श्री संजय कुमार**
(ब) पिता/पति का नाम :– **श्री दलीप सिंह**
(स) जन्म तिथि/वर्ष :– **39 वर्ष**
(द) राष्ट्रीयता– .... **भारतीय** ....
(य) पासपोर्ट संख्या ....
जारी करने की तिथि .... जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय :– ....
(ल) पता :– **गांव गोपी बाढडा, पुलिस थाना बाढडा, जिला चरखी दादरी हाल बगीना रोड, साई मंदिर के पास, पुलिस थाना, पिलानी, जिला झुन्झुनूं**
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
1– श्री रामसिंह, एक्सईएन, पीएचईडी, खण्ड खेतडी, जिला झुन्झुनूं निवासी गांव देदुसर, तहसील नवलगढ, पुलिस थाना मुकंनगढ, जिला झुन्झुनूं हाल वार्ड नम्बर 31, न्यू कॉलोनी, गली नम्बर 02, पुलिस थाना पिलानी, जिला झुन्झुनूं।
2–श्रीमति इन्द्रा कटेवा पत्नी श्री रामसिंह, जाति जाट, उम्र 59 साल, निवासी जेजुसर, पुलिस थाना मुकनगढ, जिला झुन्झुनूं हाल वार्ड नम्बर 31, न्यू कॉलोनी, गली नम्बर 02, पिलानी, जिला झुन्झुनूं हाल अध्यापिका, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कांजी, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–....................................
.... कोई देरी नहीं हुई ....
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
....
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य .... **रिश्वती राशि 60,000/– रूपये**..................
11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

दिनांक 17.05.2022 समय 8:40 ए.एम. पर मन् पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर 7726863086 परिवादी श्री संजय कुमार ने अपने मोबाईल नम्बर 9783111584 से वार्ता कर बताया

पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय के डिजिटल टेप रिकार्डर मंगवाकर चला कर सुना गया तो डिजीटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड में कोई आवाज नहीं थी। डिजीटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड श्री अली हुसैन कानि. को सुपुर्द कर व परिवादी के मोबाईल नम्बर बताकर परिवादी के पास गोपनीय सत्यापन हेतु भिजवाया गया व कानि. को मुनासिब हिदायत दी कि सत्यापन होने के बाद परिवादी को साथ कार्यालय लेकर आना है।

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

<u>17.05.2022</u>

09:35 पी.एम. इस समय श्री अली हुसैन, कानि. 573 व परिवादी श्री संजय कुमार मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर श्री अली हुसैन ने फर्द डिजिटल टेप रिकार्डर सुपुर्दगी व डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड व परिवादी श्री संजय कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुपुर्द कर बताया कि "मै झुन्झुनूं से रवाना होकर परिवादी के मोबाईल नम्बर 9783111584 पर वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि आप चिडावा में आ जाओ। मै चिडावा पहूॅच परिवादी से सम्पर्क कर परिवादी के साथ चिडावा से रवाना होकर पीएचडी के एक्सईएन ऑफिस खेतडी के पास पहूॅच कर डिजिटल टेप रिकार्डर को चलाने व बंद करने विधि समझाई गई। फर्द सुपुर्दगी डिजिटल टेप रिकार्डर बनाकर परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी को डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर एक्सईएन कार्यालय भिजवाया गया। कुछ समय बाद परिवादी कार्यालय के बाहर आने पर मैने डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड प्राप्त कर लिया। परिवादी ने बताया कि एक्सईएन साहब ने अपने घर पिलानी में बुलाया है। जिस पर हम दोनो खेतडी से रवाना होकर पिलानी पहुॅच गये। पिलानी में शाम को करीब 07:40 पी.एम. पर पुनः फर्द सुपुर्दगी डिजिटल टेप रिकार्डर बनाई गई व डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी को सुपुर्द कर एक्सईएन श्री रामसिंह के मकान लुहारू रोड, पिलानी गली नम्बर 02 मे भिजवाया। कुछ समय बाद परिवादी एक्सईएन के घर से बाहर आने पर मैने डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड प्राप्त की व परिवादी ने बताया कि एक्सईएन साहब मेरे बिलो को पास करने की एवज में मेरे से 60,000/- रूपये रिश्वत की मांग की है जो कल सुबह 8:00 ए.एम. पर अपने घर पर ही लेकर आने की कही है। परिवादी श्री संजय कुमार ने भी श्री अली हुसैन, कानि. की बातों की ताईद की। मन् अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक ने डिजिटल टेप रिकार्डर को चला कर सुना तो डिजिटल टेप रिकार्ड के मेमोरी कार्ड में रिश्वत की मांग वार्ता रिकार्ड होना पाई गई। रिश्वत की मांग की पुष्टि होने पर डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को सुरक्षित अलमारी में रखी गई। परिवादी से मजिद दरियाफ्त करने पर परिवादी ने बताया कि मेरी फर्म पिंकी इन्टरप्राईजेज पिलानी को खण्ड खेतडी के जलदाय विभाग के पिलानी में सुरजगढ क्षेत्र के पाईप लाईन लिकेंज ठीक करने और लेबर उपलब्ध करवाने व वाहन उपलब्ध करवाने के कार्य के तीन बिलो की कुल राशि 5,54,781/- रूपये के बिल पास के 10-15 प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत की मांग श्री रामसिंह, एक्सईएन, खण्ड खेतडी, पीएचडी मांग रहा है। मै उनको रिश्वत नही देना चाहता हूॅ। उसको रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूॅ। उक्त प्रार्थना पत्र मेरे स्वयं द्वारा हस्तलिखिल व हस्ताक्षरित है व परिवादी ने यह भी बताया कि रिश्वत में दी जाने वाली राशि 60,000/- रूपये में साथ लेकर आया हूॅ।

जरिये दूरभाष जिला आबकारी, कार्यालय से स्वतंत्र गवाह श्री विद्याधर, कनिष्ठ सहायक व कार्यालय उप वन रक्षक से गवाह श्री अमर सिंह, वन रक्षक को दिनांक 18.05.2022 को सुबह 04:00 ए.एम. में कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पांबद किया गया। तत्पश्चात समय 10:30 पी.एम. पर समय परिवादी श्री संजय कुमार द्वारा रिश्वत की मांग दौराने सत्यापन आरोपी श्री रामसिंह, एक्सईएन से हुई बातचीत की डिजीटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को मन् अति० पुलिस अधीक्षक ने अलमारी से निकालकर स्टाफ के गवाह श्री अली हुसैन, कानि. 573 व श्री सुनिल कुमार, कानि. 227 व परिवादी की उपस्थिति में कार्यालय के डिजीटल टेप के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया को मेमोरी कार्ड से कम्प्यूटर के माध्यम से दो सीडी तैयार कर आरोपी व अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा मेमोरी कार्ड की टेप वार्ता को गवाहान एवं परिवादी के समक्ष सुना जाकर टेप वार्तालाप के रूपान्तरण की फर्द तैयार की गई। मेमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता में परिवादी संजय कुमार ने स्वयं की व श्री रामसिंह, एक्सईएन की आवाजों की पहचान की। डिजीटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क 'ए' अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया।

दिनांक 18.05.2022 समय 05:30 ए.एम. पर पूर्व से पांबद शुद्धा गवाह श्री विद्याधर कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद, जाति मेघवाल, उम्र 37 वर्ष, निवासी गांव आलमास, पुलिस थाना बलारा, जिला सीकर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला झुन्झुनूं व श्री अमर

सिंह पुत्र श्री हरचन्द, जाति जाट, उम्र 43 वर्ष, निवासी ईडांली, पुलिस थाना बगड, तहसील जिला झुन्झुनूं हाल वन रक्षक, कार्यालय उप वन सरक्षक, जिला झुन्झुनूं कार्यालय में उपस्थित आये।

तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने पूर्व से उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाह श्री विद्याधर कुमार, कनिष्ठ सहायक एवं श्री अमर सिंह, वन रक्षक को परिवादी श्री संजय कुमार का दोनों स्वतंत्र गवाहान से आपसी परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढ़कर सुनाया व ट्रेप कार्यवाही में गवाह रहने हेतु सहमति प्राप्त की गई। प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये व अग्रिम ट्रेप कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

मन् अति० पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार परिवादी श्री संजय कुमार को रिश्वत में दिये जाने वाले रूपये पेश करने को कहा तो परिवादी ने 60,000/– रूपये भारतीय मुद्रा के पॉच–पॉच सौ रूपये के 120 नोट कुल 60,000/– रूपये पेश किये जिनके नम्बरों का विवरण फर्द में अंकित करवाकर नोटों पर श्री रामावतार कानि. 21 से हस्ब कायदा फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। गवाह श्री विद्याधर कुमार से परिवादी श्री संजय कुमार की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 60,000/– रूपये के नोट श्री रामावतार, कानि. 21 से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाई जेब में सावधानी पूर्वक रखवाये जाकर परिवादी श्री संजय कुमार को हिदायत दी गई तथा तय ईशारे की समझाईस की गई। दोनों गवाहान को भी आवश्यक हिदायत दी गई। प्रदर्शन करवाकर दोनों पाउडरों की आपसी प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी व दोनों गवाहान को समझाया गया। श्री रामावतार, कानि., परिवादी, दोनों गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में धोवन लिए जाने हेतु काम में लिए जाने वाले कॉच के गिलासों व कॉच की शीशियों को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर साफ करवाते हुए ट्रेप बॉक्स तैयार करवाया गया। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनियता बनाये रखने व तय ईशारे बाबत् समझाईस कर मुनासिब हिदायत दी गई। कार्यालय की डिजीटल टेप मय मेमोरी कार्ड को चलाकर देखा गया जिसमें कोई आवाज नहीं है, उक्त डिजीटल टेप मय मेमोरी कार्ड रिश्वत के लेन देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक टेप करने हेतु परिवादी श्री संजय कुमार को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी, सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई।

इस समय 7.00 ए.एम. मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्टाफ के श्री सुभाष चन्द्र, सहायक उप निरीक्षक, श्री शिशुपाल सिंह, हैड कानि. 81, श्री अमित, कनिष्ठ सहायक, श्री सुनील कुमार, कानि. 227, श्री करण सिंह, कानि. 193, श्री मनोज कुमार, कानि. 76, श्री अली हुसैन, कानि. 573, श्री जगदेव सिंह, कानि. चालक 354, श्रीमति सुमित्रा, महिला कानि. 511, परिवादी श्री संजय कुमार जरिए व स्वतंत्र गवाह श्री विद्याधर कुमार, कनिष्ठ सहायक व श्री अमर सिंह, वन रक्षक जरिये प्राईवेट वाहनों मय ट्रेप बॉक्स तथा लेपटॉप मय प्रिन्टर के रवाना बजानिब कस्बा पिलानी होते हैं। कार्यालय में श्री रामावतार, कानि. को छोडा गया।

तत्पश्चात मन् अति० पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के झुन्झुनूं से रवाना होकर न्यू कॉलोनी,गली नम्बर 02, बिरला पब्लिक स्कूल, पिलानी लुहारू रोड पर वाहनो को साईड में रूकवाया व परिवादी को अपने वाहन से आरोपी के मकान पर भिजवाया गया। उसके पिछे श्री सुभाष चन्द, स.उ.नि. व श्री अली हुसैन, कानि. को रवाना किया गया व हम सभी आरोपी के मकान के आस पास मुकिम होकर मुकर्र ईशारे का इंतजार करने लगे।

इस समय मन् अति० पुलिस अधीक्षक को परिवादी द्वारा समय 08:05 ए.एम. पर मुकर्र ईशारा प्राप्त होने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान व स्वतंत्र गवाह को साथ लेता हुआ आरोपी के मकान के अन्दर पहूँचा तो एक व्यक्ति के पास परिवादी खडा मिला। उस व्यक्ति की तरफ परिवादी ने इशारा कर बताया कि यह श्री रामसिंह, एक्सईएन है। जिन्होने अभी–अभी मेरे से रिश्वती राशि 60,000/– रूपये अपने मकान के हॉल में टेबल पर रखवाये है। इस पर मन एएसपी ने उस व्यक्ति को अपना परिचय देते हुये परिवादी श्री संजय कुमार से रिश्वत लेने बाबत पूछा तो उसने अपना नाम श्री रामसिंह, एक्सईएन, पीएचईडी, खण्ड खेतडी, जिला झुन्झुनूं होना बताया तथा रिश्वती राशि बाबत बताया कि "मैने इनसे कोई रूपये नही लिये है। वह मेरे से अपने कार्य के बिलो के बारे में बात की तो मैने उनको कहा की यहा कोई बात नही हैं, आप ऑफिस में आकर मिलो। आरोपी ने यह भी बताया कि श्री संजय कुमार आज से पहले कभी नही आया ना ही मै उससे कभी मिला।" जिस पर मौके पर उपस्थित परिवादी ने आरोपी के कथनो का खडन करते हुये बताया कि एक्सईएन साहब झुठ बोल रहे है मै इनसे कल इनके कार्यालय खेतडी में मिला तो मैने मेरे बिलो को पास करने की कही तो इन्होने कहा कि आप शाम को मेरे घर पिलानी में आकर बात करना। मै कल शाम को एक्सईएन साहब के मकान

पिलानी में जाकर मेरे कार्य के बारे में वार्ता की तो इन्होने मेरा साडे तीन लाख रूपये पास करने की एवज में 70,000/– रूपये रिश्वत की मांग की। मेरे कुछ कम करने के कहने पर 60,000/– रूपये लेने की सहमत हुये। इसी दौरान आरोपी एक महिला को इशारा कर ट्रेप राशि के बारे में अवगत करवाया तो महिला ने ट्रेप राशि टेबल से लेकर मकान में बने दूसरे कमरे में लेकर जाने लगी तब मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर श्री सुभाष चन्द, सहायक उप निरीक्षक, श्रीमति सुमित्रा, महिला कानि. व गवाह श्री अमर सिंह आरोपी की पत्नी के पीछे–पीछे गये तो एक महिला ने ट्रेप पार्टी को देखकर कमरे में पडी लोहे की चारपाई के नीचे फेंक दियें, जो गवाह श्री अमर सिंह से ढुंडवाये गये तो चारपाई के नीचे पॉच–पॉच सौ रूपये के नोटो के थेई दिखाई दी जिसको गवाह श्री अमर सिंह से उठवाये गये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मेरा व ट्रेप पार्टी का परिचय देते हुये उस महिला का नाम पता व रिश्वती राशि के बारे में पुछा तो उसने अपना नाम श्रीमति इन्द्रा कटेवा पत्नी श्री रामसिंह, पेशा सरकारी अध्यापिका होना बताया। रिश्वती राशि के बारे में बताया कि मैने आप लोगो को देखकर टेबल से उठाकर दूसरे कमरे में रखी चारपाई के नीचे फेक दिये है। आरोपीया श्रीमति इन्द्रा कटेवा ने रिश्वती राशि को खुर्द फुर्द करने की नियत से टेबल से उठाकर चारपाई के नीचे डाली है। मौके पर भीड भाड होने पर आरोपी व आरोपी की पत्नी श्रीमति इन्द्रा कटेवा को व लकडी की टेबल जिस पर रिश्वती राशि रखवाई थी उसको यथा स्थित में लिया व पुलिस थाना पिलानी के जाब्ते को बुलाकर आरोपी की मकान की निगरानी हेतु एक हैड कानि., एक कानि. व एक महिला कानि. को वहा मामुर किया। आरोपी के मकान से रवाना होकर आरोपी श्री रामसिंह व आरोपी रामसिंह की पत्नी श्रीमति इन्द्रा को साथ लेकर ट्रेप पार्टी सदस्य पुलिस थाना पिलानी में पहूँचे। तत्पश्चात श्री सुमित्रा, महिला कानि. के दोनों हाथों एवं दो साफ कांच के गिलासों को पानी व साबुन से धुलवाकर दोनों गिलासों में साफ पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया जो उपस्थितगणों ने रंगहीन होना बताया जिसमें से एक गिलास में आरोपीया श्रीमति इन्द्रा कटेवा पत्नी श्री रामसिंह, एक्सईएन के बायें हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला व दूसरे गिलास में आरोपीया के दाहिने हाथ के अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग झाईदार गुलाबी हो गया, जिनको दो–दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरकर सील चिट कर जिन पर क्रमशः मार्क एल–1, एल–2 एवं आर–1, आर–2 अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्रीमति इन्द्रा कटेवा पत्नी श्री रामसिंह, एक्सईएन के हाथ में कलर आने बाबत पुछने पर बताया कि मैरे हाथ में कोई कलर नही आया है ना ही मैने कोई रिश्वती राशि ली है। आरोपीया को पुनः पुछा गया तो मुझे ट्रेप की भनक लगने पर मैने आप लोगो को देखकर मेरे मकान में बने दूसरे कमरे की चारपाई के नीचे फेंक दिये थे। तत्पश्चात श्री करण सिंह, कानि. के दोनों हाथों एवं दो साफ कांच के गिलासों को पानी व साबुन से धुलवाकर दोनों गिलासों में साफ पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया जो उपस्थितगणों ने रंगहीन होना बताया। सोडियम कार्बोनेट में चिन्दी को डुबोकर टेबल के जिस स्थान पर रिश्वती राशि आरोपी ने परिवादी से रखवाई थी। उस स्थान का धोवन लिया गया तो धोवन का रंग झाईदार हल्का गुलाबी हो गया, जिनको दो–दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरकर सील चिट कर जिन पर क्रमशः मार्क टी–1 व टी–2 अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। कपडे की चिन्टी को सुखा कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद लिफाफे मे डालकर लिफाफे को सीलकर सील्ड चीट कर मार्क "बी" अंकित कर कब्जा एसीबी ली गई।

मन् एएसपी के निर्देश पर रिश्वती राशि 60,000/– रूपये गवाह श्री अमर सिंह से गिनवाये गये तो पॉच–पॉच सौ के 120 नोट कुल 60,000 रूपये पाये गये, जिनका दोनों गवाहान से पूर्व में बनी फर्द पेशकसी से मुताबिक मिलान करवाया गया तो नोटों के नम्बर हुबहु पाये गये। रिश्वती राशि के रूपयों के नम्बरों का विवरण निम्न प्रकार हैः–

1. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 1 TA 675046
2. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 7 FT 222202
3. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 0 DD 970147
4. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 6 PP 266655
5. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 7 GR 082055
6. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 7 KM 965185
7. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 5 US 125339
8. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 2 GA 818341
9. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 6 GA 527446
10. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 0 QA 250700

11. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 8 PT 803263
12. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 2 CC 435220
13. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 7 QM 441180
14. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 0 KA 614557
15. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 7 TG 431527
16. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 9 HP 270367
17. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 3 VB 909004
18. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 6 UN 312934
19. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 2 AL 007934
20. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 6 RP 195411
21. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 6 BP 458024
22. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 6 FB 376324
23. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 2 CQ 704099
24. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 0 RE 191221
25. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 7 AA 039018
26. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 8 KH 730142
27. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 7 ED 459775
28. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 2 UR 386159
29. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 2 MM 900784
30. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 8 FG 688225
31. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 8 FG 688224
32. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 8 WS 472748
33. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 6 AG 342258
34. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 8 AE 241131
35. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 2 CS 847234
36. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 7 NR 112005
37. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 1 AC 636688
38. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 7 KG 782281
39. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 7 AP 792594
40. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 6 DE 909886
41. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 7 FP 373281
42. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 0 TE 631541
43. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 8 BA 612796
44. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 7 DC 948986
45. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 5 GS 402972
46. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 7 FC 821720
47. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 9 SP 667944
48. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 5 NW 295556
49. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 3 CE 358650
50. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 0 FH 149184
51. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 8 CM 610707
52. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 8 EB 771128
53. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 8 VT 481683
54. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 7 PG 423790
55. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 7 UH 615272
56. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 2 MW 947811
57. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 6 QW 716661
58. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 4 UK 822497
59. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 7 GT 897678
60. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 8 GW 818103
61. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 3 DB 372262
62. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 8 AV 058683

63. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 6 NF 180049
64. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 0 QW 418888
65. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 3 PV 119316
66. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 4 KH 988003
67. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 7 UR 580919
68. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 2 QE 270990
69. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 9 BM 528122
70. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 8 FR 080963
71. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 2 SH 736776
72. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 4 NP 028339
73. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 8 CT 302984
74. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 5 NB 451789
75. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 5 PL 498759
76. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 5 VF 425189
77. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 6 UV 372485
78. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 5 BL 070685
79. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 1 NF 246645
80. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 8 BL 895421
81. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 1 HB 537115
82. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 8 GT 504545
83. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 9 FP 483863
84. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 6 DW 805080
85. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 4 RL 530410
86. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 6 EN 932771
87. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 6 BL 744200
88. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 4 WF 350507
89. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 2 FE 493487
90. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 9 RN 062891
91. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 3 NP 963979
92. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 7 EP 094667
93. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 7 MV 600781
94. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 9 GH 317937
95. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 0 PF 996119
96. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 0 UD 124459
97. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 6 KQ 067227
98. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 7 SV 931221
99. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 6 GW 503008
100. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 7 NP 120998
101. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 5 LK 456378
102. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 5 LK 456379
103. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 5 LK 456380
104. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 5 LK 456381
105. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 5 LK 456382
106. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 5 LK 456383
107. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 5 LK 456384
108. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 5 LK 456385
109. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 5 LK 456386
110. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 5 LK 456387
111. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 5 LK 456388
112. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 5 LK 456389
113. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 5 LK 456390
114. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 5 LK 456391

115. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 5 LK 456392
116. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 5 LK 456393
117. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 5 LK 456394
118. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 5 LK 456395
119. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 5 LK 456396
120. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 5 LK 456397

जिनके नम्बर फर्द में अंकित किए गए। बरामद शुदा उपरोक्त 60,000 रूपयों के नोटों को एक सफेद कागज में सीलवाकर सील्ड मोहर कर नोटों के कागज पर हाजरीन के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी लिये गये। आरोपी रामसिंह, एक्सईएन से परिवादी श्री संजय कुमार के कार्य बाबत पुछा गया तो उन्होने परिवादी श्री संजय कुमार की फर्म पिंकी इन्टरप्राईजेज के बिलो जो भुगतान हेतु खण्ड कार्यालय खेतडी में भिजवाये गये है। मै खण्ड कार्यालय खेतडी का इन्चार्ज एक्सईएन होता है, जो वर्तमान में एक्सईएन के पद पर पदस्थापित हूॅ। परिवादी के तीन बिल खण्ड कार्यालय पीएचईडी, खेतडी में है, मेरे पास नही है। परिवादी के काम से संबंधित दस्तावेज जरिये फर्द पृथक से प्राप्त कर कब्जा एसीबी जी जावेगी। रिश्वती राशि आरोपी श्री रामसिंह के मकान के अन्दर बने कमरे के साईड में बने कमरे में आरोपी की पत्नी द्वारा टेबल से उठाकर कमरे की चारपाई के नीचे रिश्वती राशि फेकी थी। उस चारपाई के निचे से रिश्वती राशि 60,000/– रूपये बरामद हुई है, उस स्थान का धोवन लिया जाना है। जिस पर समय 11:30 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाह व स्फाफ के श्री सुभाष चन्द, सहायक उप निरीक्षक, श्रीमति सुमित्रा, महिला कानि., श्री करण सिंह, कानि., आरोपीया श्रीमति इन्द्रा कटेवा पत्नि श्री रामसिंह को साथ लेकर सील व चपडी कॉच की खाली शीशीया व सोडियम कार्बोनेट प्राईवेट वाहन की डेस्क बोर्ड में रखवाकर आरोपी के मकान पर रवाना हुये। आरोपी श्री रामसिंह, एक्सईएन व ट्रेप कार्यवाही के वजह सबूत श्री शिशुपाल सिंह, हैड कानि. को सुपुर्द कर आरोपी के मकान पर पहूॅचे। जहॉ पुलिस थाना पिलानी का जाप्ता लगा हुआ था। जहां श्री करण सिंह, कानि. के दोनों हाथों एवं दो साफ कांच के गिलासों को पानी व साबुन से धुलवाकर दोनों गिलासों में साफ पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया जो उपस्थितगणों ने रंगहीन होना बताया। सोडियम कार्बोनेट में चिन्दी को डुबोकर चारपाई के नीचे जहॉ रिश्वती राशि बरामद हुई थी उस स्थान का धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिनको दो–दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरकर सील चिट कर जिन पर क्रमशः मार्क एफ–1 व एफ–2 अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। कपडे की चिन्टी को सुखा कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद लिफाफे मे डालकर लिफाफे को सीलकर सील्ड चीट कर मार्क "सी" अंकित कर कब्जा एसीबी ली गई।

तत्पश्चात आरोपी श्री रामसिंह, एक्सईएन, पीएचईडी, खण्ड खेतडी, जिला झुन्झुनूं व आरोपीया श्रीमति इन्द्रा कटेवा पत्नी श्री रामसिंह, निवासी गांव देदुसर, तहसील नवलगढ, पुलिस थाना मुकंनगढ, जिला झुन्झुनूं हाल वार्ड नम्बर 31, न्यू कॉलोनी, गली नम्बर 02, पुलिस थाना पिलानी, जिला झुन्झुनूं को अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 व 120 बी भादस में जुर्म से अवगत करवाकर हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया।

इस समय मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय परिवादी दोनों मौतबिरान के समक्ष घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात मौका तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया।

परिवादी श्री संजय कुमार द्वारा मौके पर रिश्वत के लेन–देन के वक्त आरोपी श्री रामसिंह, एक्सईएन की गई वार्तालाप जिसको परिवादी द्वारा कार्यालय की डिजीटल टेपरिकार्डर के मेमोरी कार्ड में टेप की गई बातचीत को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में मेमोरी कार्ड से लैपटोप के माध्यम से दो सीडी तैयार कर आरोपी व अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा मेमोरी कार्ड में टेप वार्ता का गवाहान व परिवादी के समक्ष सुना जाकर टेप वार्तालाप के रूपान्तरण की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गयी। मेमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्तालाप में परिवादी श्री संजय कुमार ने स्वयं की व आरोपी श्री रामसिंह, एक्सईएन की आवाजों की पहचान की। डिजीटल टेपरिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर एक सफेद कपड़े की थैली में डलवाकर सील्ड किया गया, पैकेट पर हाजरीन के हस्ताक्षर करवाकर मार्क 'डी' अंकित किया गया। सील्ड पैकेट मार्क 'डी' व खुली सीडी को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। विस्तृत फर्द ट्रांसक्रिप्शन पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। इस समय ट्रेप कार्यावाही में प्रार्दशों को सील करने में काम में ली गई पीतल की ब्राश सील नं. 13 को श्री मनोज कुमार, कानि. 76 से तुडवाई गई।

इस समय मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय गिरफ्तार शुद्धा आरोपी श्री रामसिंह, एक्सईएन व आरोपीया श्रीमति इन्द्रा कटेवा व दोनो स्वतंत्र गवाह मय स्टाफ के पुलिस थाना पिलानी से रवाना हुये। मौके की समस्त कार्यवाही के बाद परिवादी को रूकसत किया गया।

तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय गिरफ्तार शुद्धा आरोपी श्री रामसिंह, एक्सईएन व आरोपीया श्रीमति इन्द्रा कटेवा व दोनो स्वतंत्र गवाह मय स्टाफ के अधिशांषी अभियंता, पीएचईडी, खण्ड खेतडी, पहूँचे। जहॉ से परिवादी से संबंधित दस्तावेज हेतु कार्यालय के पत्र जारी कर पीएचईडी, खण्ड खेतडी से झुन्झुनूं के लिये रवाना हुयें।

इस समय मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान व गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री रामसिंह, एक्सईएन व आरोपीया श्रीमति इन्द्रा कटेवा व दोनो स्वतंत्र गवाह मय स्टाफ के एसीबी कार्यालय झुन्झुनूं पहूँचे व माल वजह सबूत सुरक्षित कार्यालय मालखाना में रखवाया गया। दोनो स्वंतत्र गवाह को रूकसत किया गया।

उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही से श्री रामसिंह, एक्सईएन, पीएचईडी, खण्ड खेतडी, जिला झुन्झुनूं ने दिनांक 17.05.2022 को दौराने मांग सत्यापन वार्ता श्री रामसिंह, एक्सईएन ने परिवादी श्री संजय कुमार की फर्म पिंकी एन्टरप्राईजेज, पिलानी को खण्ड खेतडी के जलदाय विभाग के पिलानी व सूरजगढ के क्षेत्र के पाईप लाईन लिकेज ठीक करने व लेबर उपलब्ध करवाने व वाहन उपलब्ध करवाने के कार्य के तीन बिलो की राशि 5,54,781 रूपये पास करने की राशि का 10–15 प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत की मांग कर रहा है। जिराका सत्यापन करवाया गया तो दौराने सत्यापन 70,000/– रूपये की मांग करना व 60,000/– रूपये में तय होना पाया गया। मांग के अनुसरण में आज दिनांक 18.05.2022 को परिवादी ने 60,000/– रूपये आरोपी के मकान पर जाकर दिये तो आरोपी ने रिश्वती राशि अपने मकान के हॉल में टेबल के उपर रखवाये। परिवादी द्वारा ईशारा करने पर एसीबी टीम आरोपी के मकान में पहूँचने पर आरोपी की पत्नी इन्द्रा ने रिश्वती राशि आरोपी के कहने पर दूसरे कमरे की चारपाई के नीचे फेक दिये। आरोपीया श्रीमति इन्द्रा कटेवा ने रिश्वती राशि को खुर्द फुर्द करने की नियत से टेबल से उठाकर चारपाई के नीचे डाली है। रिश्वती राशि को चारपाई के नीचे से बरामद होना प्रथम दृष्ट्या पाया जाता है। आरोपी श्री रामसिंह, एक्सईएन, पीएचईडी खण्ड खेतडी व श्रीमति इन्द्रा कटेवा पत्नी श्री रामसिंह, पेशा अध्यापिका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कांजी, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं का उपरोक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भादस की तारीफ में आता है। अतः उक्त आरोपीगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट चाक की जाकर कमांकन हेतु सी.पी.एस. एसीबी जयपुर को प्रेषित होगी।

(इस्माईल खान)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
झुन्झुनूं।

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री इस्माईल खान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनूं ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री रामसिंह, एक्सईएन, पीएचईडी, खण्ड खेतड़ी जिला झुन्झुनूं एवं 2. श्रीमती इन्द्रा कटेवा, अध्यापिका, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कांजी, तहसील सूरजगढ़, जिला झुन्झुनूं के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 191/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

19.5.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 1681-86 दिनांक 19.5.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम सं02 जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. शासन उप सचिव कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, राज.जयपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, झुन्झुनूं।
5. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुंझुनूं।

19.5.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।